An Garda Síochána

पीड़ितों के लिए सूचना पत्र

पीड़ित के अधिकार

अपराध का विवरण

पीड़ितों की सुरक्षा

आपका मुकदमा

आपका मुकदमा

कानूनी सहायता

गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस

उपयोगी वेबसाइटस

पीड़ित के अधिकार

जब आप किसी अपराध का शिकार होते हैं, तो आप निम्नलिखित सेवाओं के हकदार हैं:

- जानकारी,
- समर्थन,
- सुरक्षा।

ये सेवाएं स्टेट के आपराधिक न्याय संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं ।

किसी अपराध में पीड़ित कौन होता है?

किसी अपराध में पीड़ित वह होता है जिसे उस अपराध के द्वारा नुकसान पहुंचा हो। यह नुकसान निम्न प्रकार का हो सकता है:

- शारीरिक,
- मानसिक,
- भावनात्मक,
- आर्थिक।

एक परिवार के सदस्य जिनके प्रियजन की मृत्यु एक आपराधिक अपराध के कारण हुई है, अपराध का शिकार है।

परिवार के सदस्यों में पति/पत्नी या ऐसा जीवन साथी शामिल होता है, जो पीड़ित के साथ संयुक्त परिवार में रह रहा हो। भाई-बहन, आश्रित और सगे संबंधी भी परिवार के सदस्य माने जाते हैं। अत: वे भी सूचना, समर्थन और सुरक्षा के हकदार होते हैं।

क्या मुझे सबूत देने होंगे?

• अपराध के पीड़ित होने के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको अदालत में सबूत देने पड़ सकते हैं।

• आपको जमानत की सुनवाई के दौरान सबूत देने के लिए कहा जा सकता है। जमानत की सुनवाई उसे कहते हैं जिससे आपके खिलाफ अपराध करने वाला व्यक्ति अदालत की सुनवाई तक जेल के बाहर मुक्त रहना चाहता है।

• आपसे यह भी बताने को कहा जा सकता है कि इस अपराध से आप कैसे प्रभावित हुए हैं। इसे "विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट" कहा जाता है और आमतौर पर अदालत इसे सजा देने से पहले सुनती है।

मैं अपराध कैसे सूचित करूँ?

- आपातकालीन स्थिति में 999/112 पर कॉल करें।
- अपने स्थानीय गार्डा स्टेशन पर फोन करें या अपने स्थानीय स्टेशन पर स्वयं जा कर सूचित करें।

कभी-कभी, गार्डा स्टेशन से संपर्क करना और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना आसान होता है।

जब मैं अपराध की जानकारी दूंगा तो गार्डा मुझसे क्या क्या पूछेंगे?

जब भी आप एन गार्डा साइकोना को अपराध की जानकारी देंगे (चाहे आप पीड़ित हों या गवाह), तो वे आपसे निम्न जानकारी देने को कह सकते हैं:

- हमें अपराध के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें।
- हमें बताएं कि क्या आप अपनी (या अपने परिवार की) सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, ताकि हम आपको उचित सलाह दे सकें।
- आपसे संपर्क साधने की जानकारी प्रदान करें ताकि हम आपको समय समय पर जांच पड़ताल की नवीनतम जानकारी दे सकें।
- अगर आपको किसी भी प्रकार की नई जानकारी मिले तो हमें सूचित करें। आपको अपराध की पहली रिपोर्ट करने के बाद, और भी किसी नुकसान या क्षति का पता चल सकता है।
- अगर अपराध के दौरान लगी चोट के कारण आपको कोई अन्य प्रभाव भी पड़ा है तो हमें सूचित करें।
- अगर आपके संपर्क विवरण बदल जाते हैं तो हमें सूचित करें।
- हमें बताएं कि क्या आप पीड़ित सहायता केंद्र की सेवाएं लेने के इच्छुक हैं।

मैं इस जांच प्रक्रिया का विवरण कहाँ देख सकता हूँ?

इस प्रक्रिया का पूर्ण विवरण जानने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.garda.ie पर 'फ्रीकवेंनटली आस्क्ड क्वेश्चन' (एफ.ए.क्यू) अनुभाग देखें

मैं सूचना देने के बाद क्या अपेक्षा कर सकता हूं?

- हम आपकी शिकायत की जांच करेंगे।

• हम आपको जांचकर्ता गार्डा के नाम, फोन नंबर और स्टेशन की जानकारी देंगे और एक विशेष - PULSE घटना नंबर – प्रदान करेंगे जिसमें आप द्वारा दी गयी पूर्ण जानकारी दर्ज होगी।

• सभी पीड़ित सदस्यों को फॉलो-अप संपर्क की जानकारी, अपराध की परिस्थितियों के अनुसार या तो जांच गार्डा द्वारा, या फिर गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस या फैमिली लीय्ज़ोंन ऑफिसर द्वारा प्रदान की जाएगी।

• आपके द्वारा की गई औपचारिक शिकायत के प्रमाण हेतु हम आपको एक लिखित स्वकृति देंगे। इस दस्तावेज़ में आपके द्वारा बताये गये अपराध की बुनियादी जानकारी शामिल होगी। यदि आप चाहें तो हम इस दस्तावेज़ को आपकी मातृभाषा में प्रदान कर सकते हैं।

• अपराध की संजीदगी के आधार पर हम चाहें तो यह जानकारी आपको लिखित रूप में देने के बजाय आपकी उपस्तिथि में मौखिक रूप से भी दे सकते हैं।

• आपका स्थानीय गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस, जाँच सदस्य या फैमिली लीय्ज़ोंन ऑफिसर, जो भी अपराध की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त है, वह आपको समय समय पर जाँच संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करवाने के लिए आपसे संपर्क करेगा।

अपराध सूचित करते समय, क्या मैं किसी को अपने साथ ले जा सकता हूँ?

हाँ, एक पीड़ित के रूप में आप सहायता हेतु किसी भी मनपसंद व्यक्ति को उस समय अपने साथ ला सकते हैं जब:

- अपराध की सूचना देने आ रहे हैं;
- कोई औपचारिक बयान देने आ रहे हैं;
- गार्डा के साथ साक्षात्कार करने आ रहे हैं।

आप अपने साथ एक कानूनी प्रतिनिधि - एक वकील – को भी ला सकते हैं।

हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में ‘अन गार्डा साइकोना’ के सदस्य आपके मनपसंद व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चुनने के लिए कह सकते हैं चाहे वह आपका कानूनी प्रतिनिधि ही क्यों ना हो।

‘अन गार्डा साइकोना’ का सदस्य आपके साथ आने वाले किसी व्यक्ति को रोक भी सकता है, अगर:

- यह आपके सर्वोत्तम हित के विपरीत है;
- वह किसी भी जांच या आपराधिक कार्यवाही में रूकावट बनता है।

हालाँकि आप किसी अन्य व्यक्ति को आपके साथ ले जा सकते हैं, बशर्ते कि जांचकर्ता गार्डा इस बात से संतुष्ट हो कि वे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

आपका मुकदमा

मुझे अपने मुक़दमे की नवीनतम जानकारी कैसे मिलेगी?

आपकी शिकायत की जांच के दौरान, आप जाँचकर्ता गार्डा से अपने केस की नवीनतम जांच का सम्पूर्ण विवरण मांग सकते हैं।

जांच के दौरान किसी भी समय या आपके केस से संबंधित किसी भी आपराधिक कार्यवाही के बाद, आप यह जानकारी मांग सकते हैं।

आप किसी भी समय जानकारी के लिए किये अनुरोध में बदलाव (संशोधन) कर सकते हैं।

यदि आप हमसे कहते हैं कि आपको केस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो हम आपको निम्न जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

आपके बारे में जानकारी

अगर आप चाहें तो हम आपको आपके बयान की एक प्रति भेज सकते हैं।

आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी और आरोप के बारे में जानकारी

हम आपको:

- आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में बता सकते हैं;
- उन अपराधों के प्रकार के बारे में बता सकते हैं जिनका आरोप लगाया गया है।

हम आपको किसी व्यक्ति की जमानत पर रिहाई या हिरासत में वापसी संबंधी जानकारी दे सकते हैं। इस जानकारी में उनकी जमानत की शर्तें भी शामिल हो सकती हैं (जैसे कि अस्थायी रिहाई, जब वे मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहे हों) ।

जाँच पड़ताल

यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, तो अगर आप चाहें, तो हम आपको मुकदमे की तारीख बता सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि मुकदमा कहाँ आयोजित किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा चुका है, तो अगर आप चाहें, तो हम आपको सजा या अगली अपील की तारीख और स्थान बता सकते हैं।

हिरासत से छूटना या भागना

यदि आप चाहें, तो हम आपको आरोपी के रिहा होने या हिरासत से भागने के बारे में बता सकते हैं जब आरोपी गार्डा हिरासत में या रिमांड पर हो (मुकदमे की प्रतीक्षा के दोरान जेल में)।

आप दोषी अपराधी का निम्न विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं:

- अस्थायी रिहाई या हिरासत से भागना;
- मृत्यु, कारावास की अवधि के दौरान।

अगर मामला आगे नहीं बढ़ रहा

यदि यह निर्णय लिया गया है कि जांच पड़ताल को आगे नहीं बढाया जायेगा या रोक दिया जायेगा, तो हम आपको इसके कारणों का सारांश दे सकते हैं।

यदि यह निर्णय लिया गया है कि मुकदमा नहीं चलाया जायेगा, तो हम आपको बता सकते हैं कि कारणों का सारांश कैसे प्राप्त करें। यदि आवश्यकता है, तो हम आपको बता सकते हैं कि इस निर्णय की समीक्षा कैसे करवायी जाए।

पीड़ितों की सुरक्षा

एक पीड़ित के रूप में, आपके सहयोग से हम आपकी आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। हम आपकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं की पहचान करेंगे। हम इसका भी आकलन करेंगे कि आपको निम्न प्रकार से नुकसान ना पहुचें:

- प्रतिशोध (आपकी शिकायत के परिणामस्वरूप आपको उन व्यक्तियों से खतरा हो सकता है);
- धमकी (जब अन्य व्यक्ति आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं);
- पुन-प्रताड़ना (जब आप अपराध की जांच प्रक्रिया और अदालती अनुभव के परिणामस्वरूप व्यथित हो जाते हैं) ।

गार्डा पीड़ित सेवा कार्यालय

प्रत्येक संभागीय गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस (जीवीएसओ) सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अपराध के सभी पीड़ितों को अपराध की परिस्थितियों के आधार पर अनुवर्ती संपर्क प्राप्त होगा, के द्वारा:

- जाँच गार्डा,
- गार्डा पीड़ित सेवा कार्यालय,
- पारिवारिक संपर्क अधिकारी।

आप गार्डा पीड़ित सेवा कार्यालय स्थानों और संपर्कों की पूरी सूची पेज 17 से प्राप्त कर सकते हैं।

विशेष व्यवस्था

यदि हमें लगता है कि कोई चिंता का विषय है, तो आपको अदालती कार्यवाही के दौरान सहज महसूस करवाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। इसमें निम्न बातें शामिल हो सकती हैं:

- आपको अदालत में प्रवेश व निकासी के लिए ऐसे दरवाजे की अनुमति दी जाती है जो आम जनता के लिए नहीं है;
- जनता को अदालत से बाहर किया जा सकता है;
- एक लाइव टेलीविजन लिंक के माध्यम से या एक स्क्रीन के पीछे से सबूत दिए जा सकते हैं।

हम आपको आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा और आपकी संपत्ति की सुरक्षा के बारे में सलाह भी देंगे।

प्रताड़ित बाल (18 वर्ष से कम)

हम उन सभी बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं जो हमारे पास आते हैं।

हम मानते हैं कि जो बच्चे प्रताड़ना का शिकार होते हैं उन्हें हमेशा विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। हम विशेष रूप से प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता प्रदान करवा सकते हैं जो कि ऐसे स्थानों पर बच्चों का साक्षात्कार लेते हैं जहाँ बच्चे अधिक सहज महसूस करते हैं।

अगर आवश्यकता हो तो, हम बच्चों को टी.यू.एस.एल.ए – द चाइल्ड एंड फैमिली एजेंसी (TUSLA - The Child and Family Agency) के पास भेजते हैं जो कि "चिल्ड्रेन फर्स्ट: नेशनल गाइडेंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ़ चिल्ड्रेन" (Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children) के अंतर्गत काम करती है।

विशिष्ट आवश्यकतायें

यदि आप किसी प्रकार से विकलांग हैं, तो हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं या जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता है तो आप हमें अवगत करवा सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं।

समलैंगिक, द्विलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय

जहाँ तक उपयुक्त होगा, हम आपको An Garda Síochána के अंतर्गत LGBTQ लायसन अधिकारी की सेवाओं संबंधी सलाह देंगे।

अगर आप एक होमोफोबिक घटना के शिकार हैं, तो हम आपको गार्दा विविधता अधिकारियों की सेवाओं की सलाह देंगे जो एक गार्डा Síochána के भीतर हैं।

आयरलैंड में आये पर्यटक

यदि आप पर्यटन के लिए आयरलैंड में आये हैं और किसी अपराध के शिकार हुए हैं, तो आप किसी भी गार्डा स्टेशन पर इसकी सूचना दे सकते हैं। हम तुरंत आपका बयान लेंगे और आपकी सहमति से आपको आयरिश टूरिस्ट असिस्टेंस सर्विस (ITAS) की सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।

आयरिश टूरिस्ट असिस्टेंस सर्विस – आई.टी.ए.एस	
आई.टी.ए.एस, आयरलैंड में आये हुए पर्यटकों के साथ हुए अपराध या अन्य दर्दनाक घटनाओं के परिणामस्वरुप मुफ्त में तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान करता है।	
फ़ोन	+353 (0)1 666 9354
वेबसाइट	www.itas.ie

आप अपने देश की विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज के बारे में अधिक जानकारी victimsupport.eu की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं

आयरलैंड के बाहर हुए अपराध

यदि आप हमें किसी ऐसे अपराध की जानकारी देते हैं जो आयरलैंड के बाहर हुआ हो, तो हम बिना विलम्ब किये यह जानकारी उस देश के उपयुक्त प्राधिकारी को देते हैं जहां अपराध हुआ हो।

यौन अपराध

यौन अपराधों के संबंध में हम विशेष रूप से संवेदनशील हैं। यदि आप अनुरोध करते हैं, तो जहाँ तक संभव हो हम आपको समान लिंग गार्डा भी प्रदान कर सकते हैं । जब संभव हो, हम आपके लिए समान लिंग के डॉक्टर द्वारा इलाज या जांच करने की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, ऐसा समय भी आ सकता है जब यह संभव ना हो।

हम आपको यौन अपराधों के पीड़ितों की सहायता हेतु उपलब्ध संगठनों के बारे में भी विवरण देंगे।

शोक संतप्त परिवार

यदि आपके परिवार के सदस्य की हत्या हुई हो, तो हम आपके लिए एक गार्डा फैमिली लायसन अधिकारी को नियुक्त करेंगे। वे जांच के दौरान आपके साथ लगातार संपर्क बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

वे आपको गार्डा जांच की प्रगति के बारे में समय समय पर सटीक जानकारी देंगे। वे आपको विक्टिम सपोर्ट आर्गेनाईजेशन का संपर्क विवरण भी प्रदान करेंगे जो आपका सहयोग कर सकती है।

घरेलू शोषण के शिकार

घरेलू शोषण के मामलों में, कानून के अंतर्गत, हम आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हेतु पति या पत्नी को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप किन सुरक्षा उपायों के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप या आपके कोई परिचित घरेलू हिंसा, यौन या लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित हैं तो सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय और स्थानीय सेवाएं उपलब्ध हैं।

इन सेवाओं की पूर्ण सूची के लिए, कृपया www.cosc.ie पर जाएँ

जातिवादी/नस्लवादी घटनाएँ

यदि आप किसी जातिवाद / नस्लवाद घटना के शिकार हैं, तो हम आपको आपके क्षेत्र के गार्डा एथनिक लायसन ऑफिसर की सेवाओं की सलाह देंगे।

यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते

यदि आवश्यकता हो, तो हम एक अनुवादक/दुभाषिए की सेवा प्रदान करवाएंगे ताकि आप भी बिलकुल वैसी गुणवत्ता की सेवायें प्राप्त कर सकें जैसी किसी और पीड़ित को मिलती हैं।

अन्य सहायता

यदि आपको कोई ऐसी कठिनाई है कि आप अपनी बात समझाने या हमारी बात समझने में असमर्थता महसूस करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं:

• आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ;

• सीखने की विकलांगता;

• सदमा।

दुभाषिये

हम उपयुक्त दुभाषिया प्रदान कर सकते हैं, जो निर्दलीय व्यक्ति होते हैं और जिन्हें एन गार्डा सियोचाना द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।

कानूनी सहायता

कुछ परिस्थितियों में, यौन अपराध या घरेलू दुर्व्यवहार से पीड़ित होने पर, आप मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हो सकते हैं। ऐसा होने पर अदालत में कोई आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। उदाहरण के लिए, मानव तस्करी का शिकार होने पर भी आप मुफ्त कानूनी सलाह के हकदार हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें, कानूनी सहायता बोर्ड की वेबसाइट www.legalaidboard.ie

गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस

प्रत्येक डिवीजनल गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस (जी.वी.एस.ओ) सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अपराध के सभी पीड़ितों को, परिस्थितियों के अनुसार, उचित रूप में फॉलो-अप संपर्क प्राप्त होगा, जो कि:

• जाँचकर्ता गार्डा,

• गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस,

• फैमिली लायसन ऑफिसर।

आप गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस के केन्द्रों और संपर्कों की पूरी सूची www.garda.ie पर प्राप्त कर सकते हैं।

विक्टिम सपोर्ट सर्विस तक पहुंच

यदि आप सहमति देते हैं, तो An Garda Síochána का सदस्य आपको उपयुक्त विक्टिम सपोर्ट सर्विस को भेजने की व्यवस्था कर देगा।

कोर्ट का खर्च

यदि आपको अदालत में गवाह बनने के लिए कहा गया है, तो आप अपने खर्चों के भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं।

यदि कोई ऐसा मामला अदालत में जाता है जिसमें आप शामिल हैं, तो एक गार्डा साइकोना आपके गवाही हेतु हुए खर्चों का भुगतान करता है। यह वह खर्च होता है जो आप अदालत में आने और सबूत लाने के लिए करते हैं।

इनमें निम्न खर्चों का मूल्य शामिल हो सकता हैं:

• यात्रा;

• भोजन;

• कुछ मामलों में आवास।

जिस क्षेत्र में मुकदमा चल रहा है वहां का गार्डा अधीक्षक (जिला अधिकारी) आपके खर्च का भुगतान करेगा। प्रत्येक गार्डा स्टेशन के संपर्क का विवरण www.garda.ie पर उपलब्ध हैं।

आपके केस पर काम करने वाले गार्डा आपके खर्चों का भुगतान करने की व्यवस्था कर सकते हैं। वे आपसे आपके खर्चों की रसीदें मांग सकते हैं। कुछ मामलों में, केस से पहले ही आपको भुगतान कर दिया जायेगा ताकि आप अदालत तक यात्रा करने में सक्षम हो सकें।

मुआवजा

अधिकरण से हुए नुकसान का मुआवजा

'द क्रिमिनल इन्जुरिस कंपनसेशन ट्रिब्यूनल' उन लोगों के आवेदनों पर विचार करता है जो हिंसात्मक अपराध के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत चोट या मृत्यु का शिकार होते हैं।

ट्रिब्यूनल किसी भी फुटकर खर्च के आधार पर मुआवजा दे सकता है, जिसमें पीड़ित द्वारा खोयी गयी कमाई का नुकसान भी शामिल है, बशर्ते आप रसीद या अन्य सबूत दिखा सकें।

जिस घटना में चोट लगी है वह बिना किसी विलम्ब के गार्डाई को बताई गई हो। दावा करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की गयी है, परन्तु असामान्य परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है।

यदि घटना में पीड़ित की मृत्यु हो गई है, तो ट्रिब्यूनल पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दे सकता है।

मौत से जुड़े मामलों की कोई समय सीमा नहीं है।

अपराधी से लिया गया मुआवजा

अपराधी को दोषी पाने पर, अदालत यह आदेश भी दे सकती है कि अपराधी की सजा के तौर पर आपको मुआवजा देना होगा।

आप अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं:

क्रिमिनल इन्जुरिस कंपनसेशन स्कीम
पता:
क्रिमिनल इन्जुरिस कंपनसेशन स्कीम सेकंड फ्लोर 7–11 मोंटागुए कोर्ट मोंटागुए स्ट्रीट डबलिन 2 फ़ोन : 01 - 476 8670
ई-मेल
criminalinjuries@justice.ie

सुलह संबंधी न्याय सेवाएं

सुलह संबंधी न्याय वह है जहां पीड़ित**,** अपराधी और एक निर्दलीय व्यक्ति के बीच बैठक होती है। निर्दलीय व्यक्ति ऐसा होता है जो इस प्रकार की बैठकों का प्रबंधन करने में कुशल होता है। इस मुलाकात में पीड़ित अपनी कहानी बता सकता है ताकि अपराधी अपने अपराध के वास्तविक परिणामों को संबोधित कर सके और क्षति की यथासंभव पूर्ती कर सके।

यदि आप किसी अपराध से पीड़ित हैं और अपराधी की उम्र **18** वर्ष से कम है**,** तो आपको उसके पारिवारिक सम्मेलन (बैठक) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वहाँ आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं।

अधिक जानकारी **www.probation.ie** पर उपलब्ध है

जेल संबंधी सेवाएं

यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और आपके खिलाफ अपराध करने का दोषी पाया गया है**,** तो आप आयरिश जेल सेवा से उसकी सजा से सम्बंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मांग सकते हैं।

आप ऐसा तब कर सकते यदि आपने इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया है। पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें**, www.irishprison.ie**

डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का कार्यालय

डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (**DPP)** यह तय करता है कि अपराध करने पर लोगों पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं, और आरोप क्या क्या होने चाहिए। एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद **DPP** का कार्यालय इस मुक़दमे का प्रभारी होता है। यदि आप अपने केस की आपराधिक कार्यवाही के दौरान, डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (**DPP)** के कार्यालय की सेवाओं पर टिप्पणी करना चाहते हैं**,** तो संपर्क करें:

डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन	
पता	
इनफर्मरी रोड डबलिन 7	
फ़ोन	+353 (0)1 858 8500
फैक्स	+353 (0)1 642 7406
वेबसाइट	www.dppireland.ie

हमारे द्वारा दी गयी सेवाओं से नाखुश?

यदि आप हमारी सेवा से नाखुश हैं या आप एन गार्डा साइकोना के सदस्यों द्वारा किये व्यवहार पर कोई प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो कृपया अपने स्थानीय गार्डा अधीक्षक से संपर्क करें। उनके संपर्क का विवरण **www.garda.ie** पर या फोन निर्देशिका (ग्रीन पेज) में एन गार्डा साइकोना के तहत उपलब्ध है।

या आप अपने स्थानीय गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।

आप गार्डा साइकोना ओम्बड्समैन कमीशन को भी शिकायत कर सकते हैं।

गार्डा साइकोना ओम्बड्समैन कमीशन	
पता	
150 ऐबी स्ट्रीट उप्पर डबलिन 1	
लोकॉल	1890 600 800
फ़ोन	(01) 871 6727
फैक्स	(01) 814 7023
ई-मेल	info@gsoc.ie
वेबसाइट	www.gardaombudsman.ie

1. **कैवन/मोनाघन**

बेलीकॉनेल, कं कैवन

फोन – (0)49 952 5807

ईमेल – CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

2. **क्लेयर**

एनिस, कं क्लेयर

फोन – (0)65 684 8194

ईमेल – Clare.VictimService@garda.ie

3. **कॉर्क सिटी**

एंगेल्सिया स्ट्रीट, कॉर्क

फोन (0)21 454 8524

ईमेल – CorkCity.VictimService@garda.ie

4. **कॉर्क नॉर्थ**

मिचेलस्टाउन, कं कॉर्क

फोन (0)25 86786

ईमेल – CorkNorth.VictimService@garda.ie

5. **कॉर्क वेस्ट**

बैंडन, कं कॉर्क

फोन (0)23 885 2295

ईमेल – CorkWest.VictimService@garda.ie

6. **DMR ईस्ट**

डून लाघैरे, कं डबलिन

फोन (0)1 666 5063

ईमेल – DMREast.VictimService@garda.ie

7. **DMR नॉर्थ सेंट्रल**

स्टोर स्ट्रीट, डबलिन 1

फोन (0)1 666 8108

ईमेल – DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie

8. **DMR नॉर्थ**

बालमुन, डबलिन 9

फोन (0)1 666 4463

ईमेल – DMRNorth.VictimService@garda.ie

9. **DMR साउथ सेंट्रल**

पीयर्स स्ट्रीट, डबलिन 2

फोन (0)1 666 9350

ईमेल – DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie

10. **DMR साउथ**

क्रूमलिन, डबलिन 12

फोन (0)1 666 6263

ईमेल – DMRSouth.VictimService@garda.ie

11. **DMR वेस्ट**

फिंगलस, डबलिन 11

फोन (0)1 666 7563

ईमेल – DMRWest.VictimService@garda.ie

12. **डोनेगल**

ग्लेंटीज़, कं डोनेगल

फोन (0)74 955 1085

ईमेल – Donegal.VictimService@garda.ie

13. **गॉलवे**

गोर्ट, कं गॉलवे

फोन (0)91 636495

ईमेल – Gaillimh.VictimService@garda.ie

14. **केरी**

कैसलिसलैंड, कं केरी

फोन (0)66 716 3303

ईमेल – Kerry.VictimService@garda.ie

15.**किलडेर**

नास, कं किलडेर

फोन (0)45 884395

ईमेल – Kildare.VictimService@garda.ie

16.**किलकेनी/कार्लो**

किलकेनी, कं किलकेनी

फोन (0)56 777 5090

ईमेल – KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

17. **लाओइस/ऑफली**

पोर्टलाइस, कं लय

फोन (0)57 867 4195

ईमेल – LaoisOffaly.VictimService@garda.ie

18. **लिमरिक**

हेनरी स्ट्रीट, लिमरिक

फोन (0)61 212496

ईमेल – Limerick.VictimService@garda.ie

19.**लौथ**

डंलीर, कं लौथ

फोन (0)41 686 2388

ईमेल – Louth.VictimService@garda.ie

20. **मेयो**

स्वीनफोर्ड, कं मायो

फोन (0)94 925 3139

ईमेल – Mayo.VictimService@garda.ie

21. **मीथ**

नवन, कं मीथ

फोन (0)46 903 6194

ईमेल – Meath.VictimService@garda.ie

22. **रोसकॉमन/लौंगफोर्ड**

कॉन्वेंट रोड, रोसकॉमन

फोन (0)90 663 8389

ईमेल – RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

23. **स्लाइगो / लेट्रिम**

कैरिक–ऑन–शैनन

फोन (0)71 965 0517

ईमेल – SligoLeitrim.VictimService@garda.ie

24. **टिपरेरी**

टेम्पोरमोर, कं टिपरेरी

फोन (0)504 32636

ईमेल – Tipperary.VictimService@garda.ie

25. **वॉटरफोर्ड**

वॉटरफोर्ड, कं वॉटरफोर्ड

फोन (0)51 305395

ईमेल – Waterford.VictimService@garda.ie

26. **वेस्टमिथ**

डेलविन, कं वेस्टमिथ

फोन (0)44 966 8102

ईमेल – WestMeath.VictimService@garda.ie

27. **वेक्सफ़ोर्ड**

वेक्सफ़ोर्ड, कं वेक्सफ़ोर्ड

फोन (0)53 916 5297

ईमेल – Wexford.VictimService@garda.ie

28. **विकलो**

ब्रे, कं विकलो

फोन (0)1 666 5360

ईमेल – Wicklow.VictimService@garda.ie

उपयोगी वेबसाइटस

अपराध के पीड़ित के रूप में, आपको निशुल्क सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। नीचे पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कुछ संसाधनों की सूची दी गई है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके लिए कौन सी सेवा सही है, तो आप अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय गार्डा विक्टिम सर्विस ऑफिस या नेशनल क्राइम विक्टिम्स हेल्पलाइन 116 006 पर फोन कर सकते हैं।

AdVIC – एडवाइस फॉर विक्टिम्स ऑफ़ होमीसिड	
AdVIC हत्या के पीड़ितों और उनके परिवार वालों के अधिकारों के लिए अभियान चलाता है। यह शोक संतप्त परिवारों को इकट्ठा करता है और मुफ्त में पेशेवर परामर्श प्रदान करता है।	
वेबसाइट	www.advic.ie
फ़ोन	(01) 617 7937

AnyMan – सपोर्ट फॉर मेन	
AnyMan उन पुरुषों के लिए सहायता सेवाएं और जानकारी प्रदान करता है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं।	
वेबसाइट	www.anyman.ie
फ़ोन	0818 222 240

सीएआरआई (**CARI**) सर्विस फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलैसैंट्स	
सीएआरआई (CARI) यौन शोषण से पीड़ित बच्चों और किशोरों को सहायता और सेवाएँ प्रदान करता है। यह परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहायता प्रदान करता है।	
वेबसाइट	www.cari.ie
फ़ोन	1890 924 567

क्राइम विक्टिम्स हेल्पलाइन	
द क्राइम विक्टिम्स हेल्पलाइन, आयरलैंड में हुए अपराधों के पीड़ितों की व्यथा सुनने और उन्हें सहायता प्रदान करने की सेवा है।	
वेबसाइट	www.crimevictimshelpline.ie
फ़ोन	116 006

डबलिन रेप क्राइसिस सेंटर	
एक ऐसी संस्था जो बलात्कार, यौन उत्पीड़न या बचपन में हुए यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों को सहायता और बहुत सी सेवायें प्रदान करती है।	
वेबसाइट	www.drcc.ie
फ़ोन	1800 77 8888

वन इन फोर	
वन इन फोर उन वयस्कों की मदद करता है जिन्होंने बचपन में यौन शोषण का अनुभव किया है, उनके परिवार और वे जो यौन रूप से हानिकारक व्यवहार में लिप्त हैं।	
वेबसाइट	www. oneinfour.ie
फ़ोन	(01) 662 4070

मिसिंग पर्सन्स हेल्पलाइन	
द मिसिंग पर्सन्स हेल्पलाइन उन परिवारों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है जिनका कोई संबंधी, मित्र या सहकर्मी गुमशुदा है।	
वेबसाइट	www.missingpersons.ie
फ़ोन	1890 442 552

रेप क्राइसिस नेटवर्क आयरलैंड	
सभी छोटे बड़े रेप क्राइसिस सेंटर्स की प्रतिनिधि संस्था जो यौन शोषण से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त सलाह, परामर्श और सहायता प्रदान करती है।	
वेबसाइट	www.rapecrisishelp.ie
फ़ोन	(01) 865 6954

रूहामा	
रुहामा वेश्यावृत्ति और यौन तस्करी के पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है।	
वेबसाइट	www.ruhama.ie
फ़ोन	(01) 836 0292

सपोर्ट आफ्टर होमिसिड	
सपोर्ट आफ्टर होमिसिड उन लोगों को भावनात्मक सहायता और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है, जिनका जीवन मानव हत्या से प्रभावित हुआ है।	
वेबसाइट	www.supportafterhomicide.ie
फ़ोन	087 983 7322

वीमेन'स ऐड	
वीमेन'स ऐड उन महिलाओं के लिए सहायता सेवाएं और जानकारी प्रदान करती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं।	
वेबसाइट	www.womensaid.ie
24 घंटे की हेल्पलाइन	1800 341 900

अन्य उपयोगी वेबसाइटस	
गार्डा	www.garda.ie
कोर्ट्स सर्विस	www.courts.ie

अन्य उपयोगी वेबसाइटस	
टी.यू.एस.एल.ए	www.tusla.ie
हेल्थ सर्विस एग्जीक्यूटिव	www.hse.ie

क्राइम विक्टिम्स हेल्पलाइन

फोन 116 006

CrimeVictimsHelpline.ie

An Garda Síochána

पीड़ित अधिकारों की जानकारी के लिए, अपराध की रिपोर्ट करने के लिए, मुफ्त पीड़ित सहायता सेवाओं के विवरण, आदि, के लिए www.garda.ie पर जाएँ।

An Garda Síochána Headquarters

Phoenix Park, Dublin 8, D08 HN3X

Phone +353 (0)1 666 0000